

## ECI नयुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

### प्रलिस के लयः

भारत नरिवाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय

### मेन्स के लयः

भारत नरिवाचन आयोग और उसके कार्य, स्वतंत्रता, नयुक्तिपरकरयिा

### चर्चा में क्यों?

**सर्वोच्च न्यायालय (SC)** के पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है कि **मुख्य चुनाव आयुक्त** और **चुनाव आयुक्तों की नयुक्ति** परधानमंत्री, **लोकसभा में वपिकष का नेता** एवं भारत के **मुख्य न्यायाधीश** की एक समति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

- यदवपिकष का नेता उपलब्ध न हो तो लोकसभा में सबसे अधिक जन-प्रतनिधियों वाले वपिकषी दल का मुखयिा इस समति का सदस्य होगा।

### फैसले के अन्य प्रमुख बदि

- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ECI की नयुक्तिपर संवधिन सभा (Constituent Assembly- CA) की बहस से स्पष्ट होता है कि **कसीभी सदस्यों का स्पष्ट मत था कि चुनाव एक स्वतंत्र आयोग द्वारा आयोजति कयिे जाने चाहयिे।**
  - इसके अतरिकित "संसद द्वारा इस संबंध में स्थापति कसी भी कानून की शर्तों के अधीन" वाक्यांश का उद्देश्यपूर्ण समावेश इंगति करता है कि **संवधिन सभा ने संसद द्वारा भारतीय नरिवाचन आयोग की नयुक्तियों को नयितरति करने के लयिे मानकों को स्थापति करने की परकिल्पना की थी।**
  - आमतौर पर न्यायालय वशिष वधायी शक्तियों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, परंतु संवधिन के संदर्भ में वधायिका की नषिकरयिता और उससे उत्पन्न शून्यता को देखते हुए न्यायालय को नश्चति रूप से हस्तक्षेप करना चाहयिे।
  - मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्त को **हटाए जाने की परकरयिा** समान होनी चाहयिे अथवा नहीं, के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कयिा कि यह एक समान नहीं हो सकती क्योंकि **मुख्य नरिवाचन आयुक्त का दर्जा वशिष होता है और उसके बनिा अनुच्छेद 324 की सकरयिता काफी प्रभावति हो सकती है।**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **चुनाव आयोग, स्थायी सचविालय के वतितपोषण और भारत के समेकति कोष पर खर्च कयिे जाने वाले वतित की आवश्यकता के सवाल को सरकार के नरिणय के लयिे छोड़ दयिा।**
- सरकार का तरक:**
  - सरकार के अनुसार, "ऐसे कानून के अभाव में राष्ट्रपति के पास **संवधानकि शक्तियाँ होती हैं।** सरकार ने न्यायालय से न्यायकि संयम बनाए रखने का अनुरोध कयिा है।

### चुनौतियाँ:

- जैसा कि संवधिन, संसद को ECE की नयुक्तिपर कोई भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात् इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला **शक्ति के पृथककरण सिद्धांत** को चुनौती देता है।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह नरिणय **संसद द्वारा बनाए गए कसी भी कानून के अधीन होगा**, जसिका अर्थ है कि संसद इसे पूर्ववत करने हेतु एक कानून बना सकती है।
- एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि इस वषिय पर संसद द्वारा कोई कानून पारति नहीं कयिा गया है, अतः **न्यायालय को "संवधानकि शून्य" को भरने हेतु कदम उठाना चाहयिे।**

### ECI में नयुक्ति हेतु मौजूदा प्रावधान:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना की गई है।
- **ECI की संरचना:**
  - मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय (1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त) बना दिया गया।
  - अनुच्छेद 324 के अनुसार, CEC और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त कर सकता है, चुनाव आयोग में शामिल होंगे।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:**
  - अनुच्छेद 324(2): इस संबंध में संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी।
    - कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के विचार हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सफारिश की जाती है। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  - राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की सेवा संबंधी की शर्तों और कार्य अवधि का निर्धारण करता है।
    - उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- **नषिकासन:**
  - वह कभी भी इस्तीफा दे सकता है या कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे हटाया भी जा सकता है।
  - CEC को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
  - CEC की सफारिश के बिना किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)**

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद नपिताता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

**उत्तर: (d)**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिये उत्तरदायी है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
- मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों के नपिटान हेतु आयोग अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों से युक्त है। **अतः कथन 3 सही है।**
- यह चुनाव के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

**अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।**

**??????????:**

**प्रश्न. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में भारत में चुनावों की 'वशियास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2018)**

**प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)**

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-verdict-on-eci-appointments>

